(भारत के राजपत्र असाधारण भाग - II खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

उद्योग भवन

अधिसूचना सं0 31 (आर.ई. - 2012)/2009-2014

नई दिल्ली, 04 फरवरी, 2013

विषय : निर्यात प्रतिबंध/रोक लागू किए जाने से संसाधित और/अथवा मूल्य संवर्धित कृषि उत्पादों को छूट।

सां.आ.(अ) समय-समय पर यथा अधिसूचित विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित संसाधित और/अथवा मूल्य संवर्धित कृषि उत्पादों के लिए किसी निर्यात प्रतिबंध/रोक पर तत्काल प्रभाव से छूट प्रदान करती है :-

क्रम सं0	उत्पाद का नाम	टैरिफ मद एच एस कोड
1.	गेहूँ या मेसलिन का आटा	1101
2.	गेहूँ या मेसलिन के आटे को छोड़कर अनाज का आटा (मक्का, जई आदि)	1102
3.	अनाज का दलिया, आटे की गुटिका	1103
4.	शीर्ष सं0 1006 के चावल को छोड़कर अन्यथा वर्क्ड अनाज के दाने; अनाज के बीज, साबुत, वेल्लित, परतयुक्त या मूल	1104
5.	अन्य अनाज मदें	1901 से 1905
6.	छेना और छेना उत्पादों आदि सहित दुग्ध उत्पाद	3501
7.	दुग्ध, डेयरी स्प्रेड आदि से प्राप्त मक्खन और अन्य वसा	0405
8.	पनीर और दही	0406
9.	प्याज के मूल्य संवर्धित उत्पाद	0712
10.	मूँगफली का मक्खन	15179020

3. इस अधिसूचना का प्रभावः

मूल फार्म उत्पाद के निर्यात पर प्रतिबंध/रोक होने पर भी उपर्युक्त संसाधित और/अथवा मूल्य संवर्धित कृषि उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध/रोक से छूट होगी ।

(अनुप के0 पूजारी)

महानिदेशक, विदेश व्यापार

ई मेल : dgft@nic.in

(फा0सं0 01/91/180/457/ए एम 13/निर्यात प्रकोष्ठ)